

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2011 श्र०सं०...../श्री सतीश चन्द्र वियोगी, सहायक निदेशक, प्रावैद्यिक शिक्षा, निदेशालय प्रशिक्षण (मुख्यालय), सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज को अगले आदेश तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
( सूर्यकान्त मणि )  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2011 श्र०सं०.....170...../ पटना-01, दिनांक-04/01/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त-सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी०मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मणि  
04/01/19  
सरकार के उप सचिव।  
24/1/19